न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) हवेली, फैजाबाद।

मूलवाद संख्या–753/2019

सी.एन.आर.संख्या–यू.पी.एफ.ज़ेड.060091592019

सुन्दरा बनाम परशुराम आदि

पीठासीनः–तरूणिमा पाण्डेय

(उ० प्र० न्यायिक सेवा)

दिनांक–10.07.2021

निर्णय

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पूर्व तिथि 02.07.2021 को वादिनी सुन्दरा बशिनाख्त श्री राम अनुराग एडवोकेट तथा प्रतिवादीगण श्री परशुराम व श्री सीताराम बशिनाख्त श्री सुधाकान्त तिवारी एडवोकेट की ओर से सन्धिपत्र अभिलेख सं०–17 क उभय पक्ष की सहमति के उपरान्त न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया।

प्रस्तुत वाद वादिनी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण विवादित भूमि स्थित ग्राम नैपुरा परगना हवेली तहसील सोहावल जनपद अयोध्या मे स्थित भूषाघर, छप्पर आदि जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी मे अक्षर अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है पर के बावत स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सन्धिपत्र 17 क के अनुसार एकरार फरीकैन एकराय होकर सोच–समझकर सुलह कर रहे हैं।

प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों द्वारा सन्धि पत्र कागज संख्या –17 क के समर्थन में स्वः प्रमाणित छायाप्रति आधार कार्ड पत्रावली पर दाखिल किया गया है। प्रस्तुत वाद में 20 क द्वारा पी० डब्ल्यू–1 सुन्दरा का साक्ष्य शपथपत्र तथा 19 क द्वारा डी० डब्ल्यू–1 सीताराम का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य मे कथन किया गया कि मुकदमे का निस्तारण सुलह के आधार पर किया जाये। पत्रावली जवाबदावा/6 सी/निस्तारण सी.आर. के स्तर पर है।

उपरोक्त परिस्थितियों में पाया जाता है कि पक्षकारों ने अपना मामला समझौता के आधार पर समाप्त कर लिया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सन्धिपत्र 17 क के आधार पर वाद निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद, मूलवाद संख्या–753/2019 सुन्दरा बनाम परशुराम आदि सन्धि प्रार्थना पत्र 17 क के आधार पर निर्णीत किया जाता है। न्यायालय के इस निर्णय का प्रभाव विधि द्वारा स्थापित किसी प्राधिकारी के द्वारा पारित किसी अन्यथा आदेश पर प्रभावी नहीं होगा। यह निर्णय सुलहनामा के पक्षकारों पर ही बाध्यकारी होगा। सुलहनामा 17 क में उल्लिखित शर्तों के आधार पर सुलहनामा को

डिक्री का अंश बनाया जाता है। पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात दाखिल अभिलेखागार हो।

(तरूणिमा पाण्डेय)
दिनांक–10.09.2021 **सिविल जज(जू०डि०) हवेली,**
फैजाबाद।

आज यह सुलहनामा निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

(तरूणिमा पाण्डेय)
दिनांक–10.09.2021 **सिविल जज(जू०डि०) हवेली,**
फैजाबाद।